न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 93/2017

1 भागीरथ पुत्र हरजीराम
2 रामप्रसाद पुत्र भागीरथ समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम रसीदपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीराम उर्फ सुमित पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 1 हॉस्पिटल रोड ग्राम बोकाखात जिला गोलाघाट आसाम 785612
2 उप पंजीयक अधिकारी सीकर।
3 राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर दावा संख्या 541/2008 बउनवानी श्रीराम उर्फ सुमित बनाम भागीरथ वगैराह दिनांकित 23.11.2011 व 03.04.2013 तथा तदर्न्गत पारित डिक्री दिनांक 03.04.2013

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 8.4.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 541/2008 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2011, 03.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 1 के एकाकी खाते, कब्जे, काश्त की स्वार्जित भूमि खसरा नम्बर 264 रकबा 0.09 हैक्टर व खसरा नम्बर 624 रकबा 2.61 हैक्टर अवस्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उपरोक्त भूमि को अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पैत्रिक भूमि होना अभिकथित करते हुए स्वयं 1/3 हक,हिस्से का काबिज खातेदार, काश्तकार उदघोषित करने, बंटवारा करने तथा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष निमित अपीलाधीन वाद संख्या 541/2008 बउनवानी श्रीराम उर्फ सुमित बनाम भागीरथ वगैरह योग्य अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही तथा बिना किसी सबूत साक्ष्य के ही दिनांक 23.11.2011 को निर्णय पारित कर दिया गया तथा निर्णय की पालना में दिनांक 03.04.2013 को पुनः निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई। इसलिए अपीलान्टस की ओर से योग्य अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा दावा संख्या 541/2008 बउनवानी श्रीराम उर्फ सुमित बनाम भागीरथ वगैराह में पारित निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकित 23.11.2011 व 03.04.2013 व डिक्री दिनांकित 03.04.2013 की नाराजगी में प्रस्तुत अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी के वाद प्रस्तुत करने के उपरांत अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन वाद का जवाब दावा, प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा गलत वंशावली प्रस्तुत की गई है। वादी की माता का तलाक दिनांक 14.05.2003 को हो चुका है एवं वादी की माता प्रतिवादी संख्या 2 को परित्याग करके दूसरे व्यक्ति से शादी करली अपने पुत्र को भी अपने साथ रख रखा है, वहीं पर वह अपनी माता के साथ उसकी सम्पदा पर आवास निवास कर रहा है। वादी ने झूंठी वंशावली अंकित करके बिना किसी आधार के तथ्य अंकित किये है। वादी स्वयं बालिग है, इसलिए उसकी माता को दावा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। वादी की माता ने भी दूसरी शादी करली है, वादी भी उसी के साथ उसका वारिस बनकर रह रहा है। वादग्रस्त संपदा से वादी का कोई लेना देना नहीं है। दावा खारिज किया जावें। अपीलांटस संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के सम्बन्ध में बिना किसी तलबी आदेश के योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कायमी तनकीयात हेतु निर्धारित कर दी गई तथा बिना तनकीयात कायम किये बिना ही तथा बिना वादी एवं प्रतिवादीगण की शहादत लिये बिना ही योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में अपनायी जाने वाली आदेशात्मक विधि प्रकिया को ताक में रखते हुये दिनांक 23.11.2011 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया तथा दिनांक 03.04.2013 को निर्णय दिनांक 23.11.2011 की पालना में निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। स्वीकृत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के काफी समय पूर्व ही बालिग हो गया था। परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 32 सीपीसी में वर्णित कानूनी प्रावधानों को अनदेखा करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नाबालिग मानते हुए वाद में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। योग्य अधिनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में बिना किसी तरह की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के ही अपीलाधीन वाद को साबित मान लिया गया, जबकि न तो वादी की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दी गई तथा ना ही कोई दस्तावंजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई तथा ना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.11.2011 में बिना किसी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को अपीलाधीन निर्णय का आधार ही अंकित किया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्टस को किसी तरह की साक्ष्य सबूत मौखिक तथा दस्तावेजी प्रस्तुति को कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्टस को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बारे में पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक सिविल वाद संख्या 143/2017 उनवानी श्रीराम बनाम नन्दलाल प्रस्तुत किया जिसका नोटिस अपीलान्टस को दिनांक 14–09–2017 को प्राप्त हुआ। उक्त नोटिस में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का हवाला दिया गया था। इस पर अपीलान्टस द्वारा जानकारी करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 04–10–2017 को प्राप्त की तो अपीलान्टस को सर्व प्रथम निर्णय व डिक्री के बारे में जानकारी हुई। पूर्व में अपीलान्टस कानून कायदों से अनभिज्ञ होने के कारण अपने पूर्व अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम शर्मा के इस आश्वासन के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के बारे में जानकारी नही कर पाये कि यह राजस्व प्रकृति का मामला है, इसलिए इसमें आपको तारीख पेशियों पर आने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रकरण काफी लम्बे समय तक चलते है, इस कारण पहले तामील आदेश होंगे, उसके बाद तनकीयात बनेगी, फिर साक्ष्य वादी होगी। उसके बाद अपनी साक्ष्य होनी है, तब आपको सूचित करके बुला लूंगा। परन्तु वकील साहब ने कोई सूचना नहीं दी तथा वकील साहब के आश्वासन के कारण अपीलान्टस ने भी जानकारी नही की। इस कारण अपीलान्टस को पूर्व में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी वकील साहब के आश्वासन के कारण नहीं हो सकी थी। जानकारी से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब काबिले माफ है। इस सम्बन्ध में अलग से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भी एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट भागीरथ व रामप्रसाद जरिये वकील उपस्थित रहें है। दिनांक 09.11.2011 को विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 23.11.2011 को वाद वादी डिक्री किया है। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा दिनांक 01.11.2017 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। 6 साल की देरी का अपीलान्ट द्वारा संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है। चूंकि अपीलान्ट स्वयं विचारण न्यायालय में हाजिर थे। इसलिए विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं होने का कथन स्वीकार्य नहीं है। अपीलांट द्वारा अत्यधिक विलंब से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल में स्पष्ट प्रावधान है कि विचारण न्यायालय दावा प्राप्त होने के पश्चात प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल करवायेगा इसके पश्चात जवाब दावा प्राप्त करेगा, वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करेगा उभयपक्ष की दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्राप्त करेगा, इसके उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने इन विधिक प्रावधानों की पालना नही की है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जवाब दावा पेश करने के बाद विचारण न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायमी हेतु नियत थी किन्तु विचारण न्यायालय ने बिना तनकी कायम किये ही, वादी अथवा प्रतिवादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये बिना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.05.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8.4.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर